कृषि विभाग, बिहार
उद्यान निदेशालय

बिहार सरकार

Follow us:
@agri_baipp
agri_baipp
www.facebook.com/agri.bihar.baipp/

बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति, 2020

कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि आधारित उद्योग के निवेशकों को पूंजीगत अनुदान (Capital Subsidy)

प्रमुख विशेषताएँ

- 7 प्रमुख सेक्टर यथा – मखाना, फल और सब्जियाँ, शहद, औषधीय और सुगंधित पौधे, मक्का, चाय एवं बीज में प्रसंस्करण एवं उद्योगो को बढ़ावा देने के लिए पूँजीगत अनुदान (Capital Subsidy) दिया जायेगा।
- न्यूनतम 25 लाख और अधिकतम 5 करोड़ की परियोजनाएँ लाभ के पात्र।
- नई ईकाई की स्थापना / विस्तारीकरण / आधुनिकीकरण / विविधिकरण अनुमान्य।

अनुदान का स्वरूप

क्र. सं.	वर्ग	पूंजीगत अनुदान दर
1	व्यक्तिगत निवेशकों, पार्टनरशिप फर्म, सीमित देयता फर्म, कम्पनियाँ	15 प्रतिशत
2	किसान उत्पादक कम्पनियाँ (FPC)	25 प्रतिशत
3	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अति पिछड़ा वर्ग के निवेशक	5 प्रतिशत अधिक
4	महिला उद्यमी / दिव्यांग / युद्ध में शहीदों की विधवा / तेजाब पीड़ित / थर्ड जेन्डर के निवेशक	2 प्रतिशत अधिक

इस योजना का लाभ उठायें,
अपने परिवार की खुशहाली बढ़ाये तथा
दूसरों के लिए रोजगार का अवसर सृजित करें।

अतिरिक्त लाभ

"बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016" के तहत भी लाभ के पात्र होगे।

1. स्टाम्प शुल्क / पंजीकरण की 100% प्रतिपूर्ति।
2. भूमि सम्परिवर्तन शुल्क की 100% प्रतिपूर्ति।
3. ब्याज अनुदान (ब्याज दर 10% या सावधि ऋण के वास्तविक ब्याज दर, जो भी कम हो - स्वीकृत परियोजना लागत का 30%
4. सभी नई इकाईयों के लिए GST संबधित लाभ-100%।
5. बिजली शुल्क पर 5 वर्ष तक 100% प्रतिपूर्ति।

- अन्य योजनाएँ जैसे कृषि अधारभूत संरचना निधि (Agri Infrastructure Fund), राष्ट्रीय बागवानी मिशन (NHM), आदि के तहत लाभ भी इस योजना के लाभ के साथ अभिसरित होगा।
- उक्त योजना का लाभ पाने हेतु निवेशक उद्यान निदेशालय की बेवसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

PR- 12253 (Agriculture)D. 2020-21

सम्पर्क सूत्र : टेक्निकल सपोर्ट ग्रुप (TSG), फोनः 8521619464 (अनूप कुमार) email id: agri-in-policy2020@bihar.gov.in | Website: http://horticulture.bihar.gov.in